HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON TUESDAY, THE 11TH SEPTEMBER, 2018 AT 3.00 P.M. (SECOND SITTING)

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. MOTION UNDER RULE 15.

A MINISTER

to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

III. MOTION UNDER RULE 16.

A MINISTER

to move that the Assembly at its rising this day shall stand

adjourned sine-die.

IV. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1.	A MINISTER	to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No.
100		HERC/08/2004-Amendment, 2017, dated the 24 th May, 2017, as required under
		section 182 of the Electricity Act, 2003.
2.	A MINISTER	to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No.
		HERC/10/2005/2 nd Amendment/2016, dated the 28 th February, 2017, as required
		under section 182 of the Electricity Act, 2003.
3.	A MINISTER	to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No.
		HERC/24/2011-Amendment, 2017, dated the 24 th May, 2017, as required under
		section 182 of the Electricity Act, 2003.
4.	A MINISTER	to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No.
	Trimino TER	HERC/40/2018, dated the 24 th July, 2018, as required under section 182 of the
		Electricity Act, 2003.
5.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana Power Generation Corporation
3.	AWINISTER	Limited for the year 2015-2016, as required under section 619-A (3) (b) of the
		Companies Act, 1956.

V. LEGISLATIVE BUSINESS.

1. The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2018.

A MINISTER

to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill;

to move that the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

2. The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Bill, 2018.

A MINISTER

to introduce the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Bill;

to move that the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

3. The Haryana Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Amendment Bill, 2018.

A MINISTER

to introduce the Haryana Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Amendment Bill;

to move that the Haryana Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Amendment Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

4. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2018.

A MINISTER

to introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill;

to move that the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

5. The Haryana Municipal Citizens' Participation (Amendment) Bill, 2018.

A MINISTER

to introduce the Haryana Municipal Citizens' Participation (Amendment) Bill;

to move that the Haryana Municipal Citizens' Participation (Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

CHANDIGARH: THE 10TH SEPTEMBER, 2018. RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 11 सितम्बर, 2018 को 3.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची (दूसरी बैठक) ।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम " सभा की बैठकें " के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

III. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थिगित रहेगी।

IV. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र

- 1. **एक मंत्री** बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना / विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी. / 08 / 2004— संशोधन, 2017, दिनांकित 24 मई, 2017 मेज़ पर रखेंगे।
- 2. **एक मंत्री** बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना / विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी. / 10 / 2005 / द्वितीय संशोधन, 2016, दिनांकित 28 फरवरी, 2017 मेज़ पर रखेंगे।
- 3. **एक मंत्री** बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./24/2011— संशोधन, 2017, दिनांकित 24 मई, 2017 मेज पर रखेंगे।
- 4. **एक मंत्री** बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना / विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी. / 40 / 2018, दिनांकित 24 जुलाई, 2018 मेज पर रखेंगे।
- 5. **एक मंत्री** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के वर्ष 2015—2016 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

V. विधान कार्य

1 हरियाणा विनियोग(संख्या 3) **एक मंत्री** हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; विधेयक, 2018. प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

2 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी **एक मंत्री** (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) संशोधन विधेयक, 2018.

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे;

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

इरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन विधेयक, 2018. एक मंत्री हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे;

> प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

4 हरियाणा नगर निगम . (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018. एक मंत्री हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे;

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

 हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी (संशोधन)विधेयक, 2018. एक मंत्री हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे;

> प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़ः 10 सितम्बर, 2018.

राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।